संख्या:58/2016/171जेपीआर/22-3-16-100(79)/2015

प्रेषक,

आर0के0 दिवेदी,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 19 फरवरी, 2016***

विषय: केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अनार सिंह कठेरिया पुत्र श्री लज्जा राम कठेरिया, निवासी जनपद-एटा को केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-31824/सामा-1(3)/आगरा मं0/2014, दिनांक 05-08-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अनार सिंह कठेरिया पुत्र श्री लज्जा राम कठेरिया को केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0के0 दिवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या:58/2016/171जेपीआर(1)/22-3-16-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा।
2. जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद।
3. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा/फतेहगढ़।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 दिवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in